अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य जीएसटी रियायत प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक सामान्य जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करना है। इसमें उल्लिखित तथ्यों को समय-समय पर जारी किए गए कार्यालय-ज्ञापनों/कार्यालय-आदेशों के साथ ही पढ़ा जाना चाहिए। इन तथ्यों का आशय इन्हें विशिष्ट/असाधारण मामलों पर लागू करना नहीं है और इसके तहत ऐसा कोई दावा नहीं किया जा सकता। मूल कार्यालय-ज्ञापन/कार्यालय-आदेश की तुलना में यहां उल्लिखित तथ्यों के अर्थ और/अथवा सामग्री की व्याख्या में कोई अंतर उत्पन्न होने की स्थिति में मूल पाठ को अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा।

1. इस लाभ के लिए कौन पात्र हैं?

वित्त मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या 14/2019 - एकीकृत कर दर, दिनांक 30 सितंबर 2019 के अनुसार, 40% और उससे अधिक की स्थायी विकलांगता वाला कोई भी अस्थिजनित दिव्यांग व्यक्ति इस स्कीम के तहत लाभ के लिए आवेदन कर सकता है।

2. इस स्कीम के अंतर्गत किस प्रकार के वाहन खरीदे जा सकते हैं?

वित्त मंत्रालय की दिनांक 30 सितंबर, 2019 की अधिसूचना के अनुपालन में, वे कारें (स्वचालित या मैनुअल) जिनकी लंबाई 4 मीटर से कम या उसके बराबर हैं और जिनकी इंजन क्षमता 1200 सीसी (पेट्रोल, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) या संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) या 1500 सीसी (डीजल) से अधिक न हो, इस स्कीम के तहत खरीदे जा सकते हैं।

3. इस जीएसटी प्रमाण-पत्र के आधार पर कितनी और किस प्रकार की रियायतें प्राप्त की जा सकती हैं?

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 14/2019-एकीकृत कर दर, दिनांक 30 सितंबर 2019 तथा अधिसूचना संख्या 1/2017- प्रतिपूर्ति उपकर (दर), दिनांक 28 जून 2017 के अनुसार, इस प्रमाण-पत्र के माध्यम से जीएसटी पर 10% की रियायत प्राप्त की जा सकती है और उसपर कोई उपकर लागू नहीं होगा। इस प्रमाण-पत्र का लाभ उठाने वाले व्यक्ति को

कार की खरीद पर 28% जीएसटी और लागू उपकर के बजाय 18% जीएसटी देना होगा और उस पर कोई उपकर नहीं देना होगा।

4. आवेदन कब और कैसे करें?

लाभ के लिए आवेदक को वाहन खरीदने से पहले आवेदन करना होगा। वाहन खरीदने के बाद जीएसटी धन-वापसी (रिफंड) संभव नहीं होगी।

आवेदन करने के लिए आवेदक को यूआरएल https://dhigecs.heavyindustry.gov.in पर जाना होगा। यहां वह ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए मार्गदर्शक के तौर पर यूजर मैनुअल की मदद ले सकता है। आवेदन भरने और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद, उसे सबमिट बटन दबाते ही आवेदन विभाग को प्राप्त हो जाएगा।

5. आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

आवेदन भरते समय आधार, पैन, यूडीआईडी (यदि उपलब्ध हो)/दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और स्व-घोषणा (पठनीय दस्तावेज) की प्रति पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

6. इसका लाभ उठाने के लिए क्या आवेदक को विशेष प्रारूप में नया चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा?

ऐसे किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य चिकित्सा प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है जिसके पास विशिष्ट दिव्यांगता पहचान-पत्र (यूडीआईडी) (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी) अथवा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (केंद्र सरकार/राज्य सरकार/जिला सरकार द्वारा जारी, जिसमें जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम और पंजीकरण संख्या का उल्लेख हो) हो।

तथापि, यदि किसी व्यक्ति के पास ऊपर उल्लिखित कोई भी चिकित्सा प्रमाण-पत्र न हो, तो विधिवत रूप से भरा हुआ अनुलग्नक 'ख' क्रमशः ऑर्थोपेडिक डॉक्टर और सिविल सर्जन रैंक के अधिकारियों के हस्ताक्षर और प्रतिहस्ताक्षर के साथ आवश्यक होगा जिसमें उनकी मुहर, उनके नाम और पंजीकरण संख्या दर्शाई गई हो।

7. प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया में कितना समय लगता है?

सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के एक महीने के भीतर प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाता है।

8. क्या ऐसे जारी किए गए प्रमाण-पत्र की कोई वैधता अवधि है?

प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए वैध है।

9. भारी उद्योग विभाग द्वारा जारी वस्तु और सेवा कर प्रमाण-पत्र का सम्मान कार विक्रेता या आरटीओ द्वारा नहीं करने की स्थिति में कहां शिकायत करें?

इस तरह की स्थिति में, मामले को क्रमशः भारतीय ऑटोमोबिल विक्रेता संघ (एफएडीए) और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संज्ञान में लाया जा सकता है।

*10. यदि खरीद किए बिना ही प्रमाण-पत्र की वैधता समाप्त हो जाती है, तो क्या करें?

कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान, सरकार वस्तु और सेवा कर रियायत प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि में विस्तार की सुविधा प्रदान कर रही है। यह विस्तार एक सीमित अवधि के लिए दिया जाता है और सरकार द्वारा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। जारी किए गए वस्तु और सेवा कर रियायत प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि में विस्तार की मांग करने के लिए, मौजूदा प्रमाण-पत्र की समाप्ति के बाद निम्नलिखित दस्तावेज भेजे/ईमेल (एकल पीडीएफ फाइल) किए जाने चाहिए: -

1. **विवरण में वस्तु और सेवा कर रियायत प्रमाण-पत्र का उपयोग न करने का कारणबताते हुए (सादे कागज पर आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित) वैधता-अवधि में विस्तार की मांग के लिए आवेदन।**
2. **वस्तु और सेवा कर रियायत प्रमाण-पत्र की प्रति।**
3. **वाहन की डिलीवरी नहीं करने की पुष्टि के लिए विक्रेता का पत्र।**

11. क्या कोई वस्तु और सेवा कर रियायत प्रमाण-पत्र में बदलाव का अनुरोध कर सकता है?

वस्तु और सेवा कर रियायत प्रमाणपत्र में बदलाव का अनुरोध केवल दो परिस्थितियों में किया जा सकता है:-

क. डीलरशिप बंद होना।
ख. मॉडल/वेरियंट का अप्रचलित होना।

अन्य किसी भी परिस्थिति में, परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के दौरान डीलर/आरटीओ का गलत विवरण दर्ज किया गया है, तो परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

वस्तु और सेवा कर रियायत प्रमाण-पत्र में परिवर्तन की मांग के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों को भेजने/ईमेल करने की आवश्यकता है (***एकल पीडीएफ फाइल***): -

1. **विवरण में परिवर्तन के कारण सहित मॉडल/विक्रेता में परिवर्तन की मांग करने के लिए आवेदन (सादे कागज पर आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित)।**
2. **वस्तु और सेवा कर रियायत प्रमाण-पत्र की प्रति।**

3. वैध कारण सहित वाहन की डिलीवरी नहीं करने की पुष्टि के लिए विक्रेता का पत्र।

4. नए डीलर (नाम, पता, ईमेल आईडी)/वांछित मॉडल का विवरण (लंबाई और इंजन क्षमता दिशा-निर्देश में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार होनी चाहिए)।

नोट: यह कंप्यूटर से तैयार हुआ प्रमाण-पत्र है। एक बार जारी हो जाने पर प्रमाणपत्र को बदला नहीं जा सकता, इसलिए कृपया आवेदन जमा करने से पहले सभी प्रविष्टियों को ध्यान से भरें। विक्रेता और आरटीओ के विवरण सहित सही जानकारी प्रदान करने की जिम्मेदारी केवल आवेदक की है।

****